(79)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण कमांक /2017 निगरानी R 933-I-17

शिवचरण पुत्र कंचन वाथम निवासी ग्राम बांसखेडी तहसील व जिला शिवपुरी म.प्र. ———आवेदक

बनाम

म0प्र0शासन द्वारा तहसीलदार शिवपुरी तहसील व जिला शिवपुरी म.प्र. ———अनावेदक

श्री मुकेश माथम एडवोकेट
द्वारा आज दि. 22-3-17 को
प्रस्तुत

22.3.17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता विरूद्व प्रकरण कमांक 17/16–17 /अ–76 मे पारित आदेश दिनांक 06–3–17 के विरूद्व समक्ष न्यायालय तहसीलदार शिवपुरी श्री नवनीत शर्मा ।

मुकेश माथम
22-3-17 एडवोकेट
ग्वालियर

श्रीमान महोदय,

सेवा मे आवेदक की ओर से निगरानी याचिका निम्न प्रकार प्रस्तुत है।

//प्रकरण का संक्षिप्त विवरण//

1–यह कि आवेदक को योग्य अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार शिवपुरी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी के प्रकरण कमाक 66/16–17 /अ–2 मे पारित आदेश दिनांक 5–1–17 के अनुसार किये गये अर्थदण्ड की वसूली एंव राशि जमा किये जाने हेतु सूचना पत्र प्राप्त हुआ , जिसके पालन मे आवेदक दिनांक 14–2–17 को योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित हुआ एंव उक्त दिनांक को ही एक आपत्ति पेश की गयी तथा योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण आपत्ति के निराकरण हेतु 27–2–17 को नियत किया गया ।

2–यह कि दिनांक 27–2–17 को प्रकरण सुनवाई मे लिया गया और पूर्ववत 06–3–17 को नियत किया गया ।

3–यह कि दिनांक 6–3–17 को प्रकरण आदेश पत्रिका अनुसार आपत्ति का निराकरण होना था किंतु योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तर्क उपरांत भी आपत्ति का निराकरण किये जाने से इंकार कर जबाव पेश करने के लिये दबाव डाला और आवेदक द्वारा उक्त अनुसार जबाव पेश किया गया एंव प्रकरण दिनांक 17–3–17 को

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 933–एक/2017 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13–4–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार शिवपुरी के प्र0 क0 17/16–17/अ–76 में पारित आदेश दिनांक 06–3–2017 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है कि तहसीलदार ने निम्नानुसार आदेश पारित किया है– "प्रकरण पेश। बकायादार की ओर से अभिभाषक उपस्थित। जबाव पेश किया गया। तर्क हेतु।" तहसीलदार द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। आवेदक को तहसील न्यायालय में तर्क करने का अवसर उपलब्ध है जहां वह अपना पक्ष रखा सकता है। दर्शित परिस्थितियों यह निगरानी आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0 एस0 अली) सदस्य	